

संदर्भ संख्या

/एसआईडीसी/

दिनांक

-: कार्यालय आदेश:-

निगम के निदेशक मण्डल की दिनांक 06.4.16 को आहूत 290वीं बैठक में औद्योगिक क्षेत्र में भूखण्डों के आवंटन में भूखण्ड का 30 प्रतिशत क्षेत्रफल आच्छादित कर इकाई उत्पादन में लाये जाने के उपरान्त ही हस्तान्तरण किये जाने की शर्त को समाप्त करने के सम्बन्ध में एजेण्डा नोट में अंकित प्रस्ताव पर चर्चा की गयी तथा निम्न प्रस्ताव पारित किया गया :-

"निगम के समस्त औद्योगिक क्षेत्रों के औद्योगिक भूखण्डों के आवंटन में वर्तमान में भूखण्डों पर 30 प्रतिशत क्षेत्रफल आच्छादित कर इकाई को उत्पादन में ले आने के उपरान्त ही हस्तान्तरण हो सकेगा की शर्त एतद् द्वारा आगामी 01 वर्ष के लिये समाप्त की जाती है।"

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(मनोज सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या 345-348 / एसआईडीसी-आईए-^{Policy (T) (XV)} Open Ended दिनांक 02-5-16
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, मुख्यालय कानपुर।
2. सचिव/समस्त अनुभागाध्यक्ष, समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, परियोजना अधिकारी, क्षेत्र प्रबन्धक, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०,
3. श्री एम०पी० गुप्ता, मुख्य प्रबन्धक (परि०)/कम्प्यूटर, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, मुख्यालय कानपुर को निगम की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
4. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि० (औ०क्ष०), मुख्यालय, कानपुर

(मनोज सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

Mg
PR. Compt.
03/05/2016

D. M. Srivastava
02/05/16
03/05/2016